

बिहार विधान परिषद के लिये निवेदन

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, मा० सं० वि० सं० से विधान परिषद के 164वें सत्र में दि०-11.03.2010 को प्राप्त निवेदन सं०-97/10 के उत्तर के संबंध में

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,  
मंत्री,  
आपदा प्रबंधन विभाग,  
बिहार, पटना

निवेदन

उत्तर

सरकार ने राज्य के विभिन्न नदियों के प्रवाह के क्षेत्र में नदियों के किनारे क्षरण से बनने वाले भूमि को दियारा के रूप में नामित किया है।

जिस आधार पर नदियों के इलाके में दियारा का नाम दिया है, उसके अनुसार पुनपुन नदी के प्रवाहित होने वाले जिलों यथा औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल एवं पटना के जिला में पड़ने वाला क्षेत्र को दियारा के रूप में पारिभाषित कर वहाँ सिंचाई, सड़क, बिजली इत्यादि विकास योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की मांग करता हूँ।

औरंगाबाद परिक्षेत्र में पुनपुन नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोई दियारा नहीं है, जिसके कारण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रासंगिक नहीं है।

जहानाबाद जिला के किसी भी भू-भाग से पुनपुन नदी का प्रवाह नहीं गुजरता है तथा कोई भी भूभाग दियारा क्षेत्र के रूप में पारिभाषित नहीं है।

अरवल जिला में पुनपुन नदी तीन प्रखंड क्षेत्रों से होकर गुजरती है जिनके नाम हैं—(1) सोनभद्र वंशी सूर्यपुर (2) करपी (3) कुंथी। उक्त क्षेत्र का कोई भू-भाग दियारा के रूप में अवस्थित/पारिभाषित नहीं है।

पटना जिला में पुनपुन नदी का प्रवाह नहीं होने के कारण कोई भी भूभाग दियारा के रूप में पारिभाषित नहीं है।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०प०नि०-10/2011/...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-

**प्रतिलिपि**— अवर सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को उनके पत्रांक-1316 (1) दि०-26/28 अप्रैल, 2010 एवं पत्रांक-347 (1), दिनांक-07.12.2011 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०प०नि०-10/2011/...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-

5007

16/11/13.

**प्रतिलिपि**— सुश्री कवित्ता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी